19

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2556 दिनांक–16.04.2026 के आलोक में श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, माँझी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पुनः नये सिरे से संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2155 दिनांक–07.05.2026 द्वारा महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त के क्रम में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–4413 दिनांक–06.05.2026 द्वारा भी श्री कुमार के विरूद्ध उक्त संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सारण (छपरा) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है।

2. चूँकि प्रस्तुत मामले में विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना द्वारा दो अलग–अलग पदाधिकारियों को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है। ऐसी स्थिति में संबंधित अभिलेख/दस्तावेज राज्य खाद्य निगम, सारण (छपरा) में रहने एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना का पक्ष रखने में सहूलियत की दृष्टिकोण से प्रस्तुत मामले में विभाग स्तर से भी महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के स्थान पर वर्तमान में पदस्थापित जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सारण (छपरा) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

10/7/2026

(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0नि0(छपरा)–11/2026– 3720 /खाद्य,पटना/दिनांक– 10/07/2026

प्रतिलिपि– 1. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2556 दिनांक–16.04.2026 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. श्री अमित कुमार, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. महाप्रबंधक (प्रशासन), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सारण (छपरा)–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संचालन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

6. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

7. श्री संजय कुमार, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, माँझी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/7/2026

सरकार के संयुक्त सचिव ।

2020/Sec_8/Office Order.Doc